राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

प्याज उत्पादकों को खुश-खबरी

प्याज, सब्जी व मसाले के रूप में प्रत्येक घर में वर्ष भर काम आता रहता है। राज्य में 4 लाख टन से अधिक प्याज का उत्पादन होता है। अलवर, झुन्झुनू, जोधपुर, नागौर, सीकर व जयपुर मुख्य उत्पादक जिले है। प्याज की मुख्य फसल की आवक अप्रेल व मई मे होती है। ग्रामीण अचंल में प्याज के फसलत्तोर प्रबन्धन व भण्डारण के उपयुक्त संसाधन नही होने के कारण मण्डियों में एक साथ प्याज की आवक होती है और प्याज की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट आ जाती है, जिससे किसानो को प्याज का उचित मुल्य नही मिल पाता है और मजबूरन कम कीमत पर बेचना पडता है। अतः किसानों को प्याज के फसलोत्तर प्रबन्धन व भण्डारण के निम्न वैज्ञानिक तरीके अपनाने चाहिए।

फसल कटाई प्रबन्धन

- प्याज की खुदाई पकने पर जब 50 प्रतिशत कन्दो की पत्तियॉ सूखकर गिर जाये तब करें।
- खुदाई के बाद भण्डारण से पहले कन्दो को 3-4 दिन तक खेत में या खुली छायादार जगह पर सुखायें। जब प्याज के डंठल सख्त हो जाये और बाहरी छिलका सूख जाये तो 2 सेमी. की लम्बाई का डंठल छोडकर पत्तियों की कटाई करें, जडें व मिट्टी हटायें , कटे-फटे व बीमारी ग्रस्त कन्दों को पृथक करें। केवल स्वस्थ कन्दों को ही भण्डारण के लिए चुने। इस प्रक्रिया को क्यूरिंग भी कहते है

भण्डारण

प्याज को अधिक नमी व सामान्य तापक्रम पर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक तरीके से खुले, हवादार तथा ऊँचे

स्थान जहाँ पानी नहीं भरे भंडारण करना चाहिए। सामान्यतः भण्डार गृह एक गाले (ढेर) व दो गोले वाले बनाये जाते है। आवश्यकतानुसार दो मंजिलें भी बनाये जा सकते है।

एक गाले व दो गाले के भण्डार गृह क्रमशः उत्तर-दक्षिण दिशा व पूर्व-पश्चिम दिशा में निर्मित किये जाते है। फर्श हवादार व जमीन से एक फुट ऊँचा होना चाहिए तथा दीवारों में बांस व लकडी के बीच 1 इंच का अन्तर रखें। छत को ऐसा बनाये ताकि बरसात का पानी प्याज को खराब नही करे । छत का निर्माण खपरैल या सीमेन्ट की चद्दरों से किया जा सकता है।

इस प्रकार के भण्डार गृहों से 3-4 माह तक प्याज सुरक्षित रखा जा सकता है।

उपरोक्तानुसार भण्डार गृह के निर्माण की लागत लगभग रू. 5 हजार/ प्रति मैट्रिक टन आती है।

उद्यान विभाग द्वारा कम लागत की प्याज भण्डारण संरचना (25 मै. टन) जिनकी लागत रू.1.00 लाख प्रति इकाई है, पर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू. 50 हजार/ उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्याज उत्पादकों को प्याज की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्याज भण्डारण हेतु उद्यान विभाग द्वारा स्वीकृत 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 50 हजार के अनुदान के अतिरिक्त रूपये 20 हजार प्रति भण्डारगृह अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। कृषक 25 मै0 टन क्षमता के भण्डार गृह के निर्माण पर अब करीब 70 हजार रूपये का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

अनुदान के लिए कृषक उद्यान विभाग के सम्बन्धित जिले के सहायक निदेशक उद्यान/कृषि को प्याज भण्डार गृहों के निर्माण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्पश्चात बोर्ड कृषको को प्रति भण्डार गृह (क्षमता 25 टन) प्रति कृषक उद्यान विभाग के मार्फत अतिरिक्त 20 हजार रूपये का अनुदान उपलब्ध करायेगा। इस प्रकार व्यवसायिक प्याज भण्डार गृहों के निर्माण से कृषक जून से अगस्त तक प्याज को भण्डारित कर अधिक लाभ ले सकते हैं ।

कृषि विपणन राजस्थान

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर दूरभाष : 0141–2227336 फैक्स : 0141–2227096

ई–मेल : rsamb@rajasthan.gov.in वेबसाइट : www.rsamb.rajasthan.gov.in

जनवरी 2014